कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– /FP/UK/ROAD/31411/2018 दिनॉकः देहरादून (1) अक्टूबर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक ,
भारत सरकार पर्यावरण, वन
एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो0 संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.915 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के ई0डी0एस0 दिनांक 15.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रकरण में ई0डी0एस दिनांक 15.03.2021 को वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1438/12–1 (2) दिनांक 05.10.2021 ऑनलाईन माध्यम से लगाई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र0सं0	आपत्तियॉ	निराकरण
1	Its seen that 0.28 ha. area selected for muck disposal in foresta rea. State govt. is requiested to avoid foresta rea for muck disposal and select some non forest land for this purpose.	डम्पिंग यार्ड हेतु कुल 1.72 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिस हेतु अधिकतम नाप भूमि का प्रयोग करते हुए 1.440 हे0 ली गई है तथा शेष 0.28 हे0 ही0 वन भूमि चिन्हित की गई है।
2	On persusal of KML file of the proposed area. It has been noticed that villaje Dewal is already connected with the road. State govt. is requested to submit the details of remaining habitation, their population and path distance from the nearest existing road.	यह मार्ग देवल से होकर खोलिया गांव, दारती खडियानी, छबीसा को जोड़ते हेतु जाता है, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1434, 249, 123, 27, 81 है। प्रतिवेदन में सूचना अंकित है, तथा exsiting मोटर मार्ग से इन ग्रामों की दूरी कमशः 4.00 कि0मी0, 4.00 कि0मी0, 6.00 कि0मी0, 7.00 कि0मी0 व 10.00 कि0मी0 है।
3	Details of 631 trees to be enumerated found uploaded at para 4 in part II and in tree enumeration list. However it has been mentioned in the justification that tree counting done in 9 m width. State govt. is requested to submit the tree enumeration list in 5.2 mtr width and at curve 6.1 mts. width as the area is very dense and population is less in the area.	मार्ग में पेड़ों की गणना 6.00 में की गयी है, एवं वन भूमि प्रस्ताव में मोटर मार्ग की चौडाई 9.00 मी0 में ली गयी है। औचित्यपूर्ण विवरण जस्टिफिकेशन में त्रुटिवश 9.00 मी0 में अंकित हो गया था, जिसे सही कर दिया गया है।
4	Details of altérnate not found uploaded at para D (ii) (a). may submit at least three altérnate in this regard to minimize the number of trees.	वैकल्पिक समरेखन का तुलनात्मक विवरण अपलोड कर दिया गया है।
5	State govt. is requested to upload submit the villaje level committee meeting proceedings of each villaje separately.	वी0एल0सी0 मिटिंग के प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है।
6	Letter number and date is not found mentioned in FRA certificate of district magistrate state govt. may do the needful in this regard.	एफ0आर0ए0 में पत्रांक ओर दिनांक अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।

7	Date of meeting of district Level committee is mentioned as 21-08-2018 and 26-12-2017 in two different document. State govt. may clarify this.	पूर्व में वनभूमि प्रपत्रों में केवल जिलाधिकारी स्तर का प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2017 को प्रदत्त किया गया था, बाद में जिलास्तरीय समिति का प्रमाण पत्र भी मांगे जाने के कारण पुनः दिनांक 21.08.2018 को जिलास्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक की गई, जिस कारण दोनों प्रपत्रों में भिन्न दिनांक अंकित है।
8	As per DSS analysis of CA area proposed in civil soyam land 6 ha. Area found in VDF and 2 ha. in MDF state govt. may submit the list of trees standing in the CA area and submit the site inspection report of the concerned DFO.	प्रपत्र अपलोड कर दिये गये हैं।
9	State govt. is requiested to check the rate mentioned in the CA scheme which does not appear to correct.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम नई दरो से तैयार कर अपलोड कर दिया गया है।
10	Documents uploaded at L (iv) g & h are not correct. State govt. may upload the correct documents at L (iv) g & h in part-I.	प्रपत्र अपलोड कर दिये गये हैं।
11	CA scheme uploaded online in part Ii not properly scanned state govt. may upload a clear copy of the CA scheme.	CA Scheme को पुनः सही तरीके से अपलोड कर दी गयी है।
12	Aerial distance of the proposed area from the nearest wildlife sanctuary is mentioned as 470 mtr. State govt. may submit the comments of CWLW in this regard.	CWLW certificate अपलोड कर दिया गया है।
13	In view of the above point no xii details filled at para 8 seems not correct. State govt. may direct the dFO to verify and fill the correct details at para 8 in part II.	प्रपत्र सही कर अपलोड कर दिया गया है।
14	Density is mentioned as 0.3 for 631 trees in 4.915 ha. area which does not appear to be correct and may be connected.	प्रपत्र सही कर अपलोड कर दिया गया है।
15	Tree enumeration list uploaded online in part II is not properly scanned. State govt. may uploaded the dear and complete copy of the tree enumeration list online.	प्रपत्र सही कर अपलोड कर दिया गया है।
16	Details of trees mentioned at para 4 in part II are not matching with details mentioned in the tree enumeration list uploaded in additional documentas. State govt. may provide clarification in this regard and remove this discrepancy.	प्रपत्र सही कर अपलोड कर दिया गया है।
17	Administrative approval and CA site suitability is not found uploaded. Which may be uploaded.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का पत्र एवं स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
18	Following short comming are noticed in the muck disposal plan. State govt. is requied to make the necassary correction accordingly.	
(a)	State govt. is required to mark the muck disposal site in KML file.	मक डिस्पोजल साईट के0एम0एल0 पर अंकित कर दी गयी है।
(b)	State govt. may clarify whether 0.28 ha. Area selected for muck disposal is enough for the purpose.	0.28 है0 सिविल भूमि के अतिरिक्त 1.44 हे0 नाप भूमि पर मक डिस्पोजल किया जाना प्रस्तावित है।
(c)	Swel factor is not found calculated in the muck disposal plan.	सही कर दिया गया है।
(d)	It is seen that 6 sites of non-forest area mentioned in muck disposal plan are not included in component	ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया है।

	wise breakup at para B 2.4 in part I which may be done.	
(e)	Total debris is mentioned as 1,26,000 cum out of which 53.792 cum mentioned to be consumed but balance calculated is 26.460 cum which is incorrect and seems not verified by DFO also. However muck disposal plan of only 34.425 cum is submitted instead of 39.208 cum. State govt. may submit clarification and submit the correct muck disposal plan .	मक प्लान सही कर अपलोड है।
(f)	State govt. is also requiested to submit the reclamation plan.	अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या 780 / FP/UK/ROAD/31411/2018 / दिनांकित।
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1438/12—1 (2) दिनांक 05.10.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।